



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या - 517 राँची, बुधवार, 19 अक्टूबर, 2022 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

16 अप्रैल, 2015

संख्या-एल०जी०-01/2000-19--लेज०, झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-10/04/2015 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015

(झारखण्ड अधिनियम- 05, 2015)

विषय सूची

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 की धारा-4 में अन्तःस्थापन ।

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015

झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 को संशोधित करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -
 - (i) यह अधिनियम झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा ।
 - (ii) यह 1ली अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त माना जायेगा ।

2. झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 की धारा-4 में निम्नांकित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रवृत्त होने की तिथि से झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 के परिच्छेद-II के अन्तर्गत धारा-4 के पारा-1 में “150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़)” के स्थान पर “500 करोड़ (पाँच सौ करोड़) रुपये” एवं पारा-2 में “एक सौ पचास करोड़ रुपये” के स्थान पर “500 करोड़ (पाँच सौ करोड़) रुपये” प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

बी० बी० मंगलमूर्ति,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।
